संचिका सं0 14/विविध–04/2019
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
<u>संकल्प</u>

विषयः–लोक सभा/विधान सभा आम/उप निर्वाचन के दौरान निर्वाचन कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से घायल या बीमार होने की अवस्था में उनके चिकित्सा व्यय के वहन के संबंध में।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में मुख्य सचिव, बिहार एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ दिनांक 18.01.2019 का बैठक में संलग्न विषयांकित मामलें पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है :–

1. वित्त विभाग के संकल्प सं0–2796, दिनांक–01.04.2009, 451 दिनांक–09.04.2014 एवं 608, दिनांक–07.05.2014 के द्वारा लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य के प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से मृत्यु या अपंगता की स्थिति में पूर्व से ही देय अनुग्रह अनुदान प्रभावी है।

2. निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से घायल या बीमार होने की अवस्था में उनके चिकित्सा व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

3. लोक सभा/विधान सभा आम/उप निर्वाचन से संबंधित कार्य पर प्रतिनियुक्त सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) उपर्युक्त प्रावधान से आच्छादित होंगे। प्रस्तुत मामलें में केन्द्रीय पुलिस सशस्त्र बल (CAPFs) का तात्पर्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अलावा बाह्य राज्यों से बिहार राज्य में निर्वाचन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त अन्य सशस्त्र बल भी है।

4. निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के घायल या बीमार होने की अवस्था में संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग का निर्धारित दर अर्थात CGHS दर पर दिया गया प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

5. चिकित्सा व्यय के वहन हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) के प्रभारी अथवा ईलाजरत कर्मी द्वारा यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके द्वारा इसकी प्रतिपूर्त्ति हेतु अपने कार्यालय में दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. उपरोक्त चिकित्सा व्यय की स्वीकृति संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा दी जायेगी। इसके आलोक में संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा ईलाजरत अस्पताल को भुगतान किया जायगा। राज्य से बाहर अस्पताल अवस्थित होने की स्थिति में इसका भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना की अनुशंसा पर किया जायेगा।

P.T.O

7. इस मद में होने वाला व्यय लोक सभा/विधान सभा आम/उप निर्वाचन में "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–105–संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार–0005–निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय–0005.13.01 कार्यालय व्यय इकाई" या "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–106–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार–0005–निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय–0005.13.01 कार्यालय व्यय इकाई" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– **पटना, दिनांकः–**

प्रतिलिपि–अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 583 (14) **पटना, दिनांकः–** 20.03.2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला एवं सचिवालय, कोषागार सिंचाई भवन एवं विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग/सचिव, राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना/विशेष सचिव मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के आप्त सचिव बिहार पटना/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलापदाधिकारी, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,/ अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना/निदेशक, आई0जी0आई0सी0, पटना/निदेशक, आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा, पटना/ अधीक्षक/उपाधीक्षक सभी सदर अस्पताल/निदेशक टी0 बी0 डी0सी0 पटना, दरभंगा/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवायें/आई0टी0मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

19/3/2019
सरकार के प्रधान सचिव।